

संख्या- 191 / 15-7- 16^x 16^x /

प्रेमक,

第 1 頁

विज्ञान : 7 : अनुभाग

पृष्ठ: २१

लखनऊ: दिनांक

① ३ अरु

२१ पत्ता

मन्त्रिभ्यः

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये पूरे यह कहने का निवेदन हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को नई दिल्ली में संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की विद्यता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल ऑफ़िफिकेट इक्वालिमिटी नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस तरीका को से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संज्ञता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 55 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 56 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 57 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 58 विद्यालय सिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 59 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवतीय,

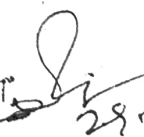
श्रीम. प्रकाश कुमार
श्रीम. प्रकाश कुमार

प्र.सं.सं. एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~आगरा~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~आगरा~~ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~करम प्रकाश रतन प्रकाश सिंह, आगरा, जिला, उत्तर प्रदेश~~ ।
- 6- गार्ड बुक ।


Manager
Carmel Public School
Gajraula

आज्ञा से 
श्रीम. प्रकाश कुमार
श्रीम. प्रकाश कुमार